जब वह परिवार से अलग हुआ तो उसे उसके हक हिस्से की भूमि खसरा नंबर 140 रोही उदरासर में दी गई थी । जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है (जिसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है)। प्रार्थी ने वादगत खसरान भूमि में अपनी 1/4 हिस्सा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है जबकि दस्तावेजो के अवलोन व अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान के मुताबिक खसरा नंबर 140 में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा हो सकता है। प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या गलत रूप से हिस्सा बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा पारिवारिक बंटवारा अनुसार प्राप्त कब्जे काश्त की भूमि से इन्कार किया है जबकि परिवार के ही अन्य सदस्य अप्रार्थीगण ने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत कर पारिवारकि बंटवारे की स्वीकृति की है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या दुर्भावनाग्रस्त प्रतित होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत साबित नहीं होता है। इस आधार पर प्रार्थी का वादगत खेतो में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त, सुविधा एवं संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्राली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

Divya

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:59:02 IST
Reason: SelfAttested